



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



15 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 17 राँची, शुक्रवार,

5 जनवरी, 2024 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

12 जनवरी, 2023

विषय:- “झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020” से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या- 436, दिनांक 11.02.2021 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में ।

संख्या-खा.प्र. 02 अधि.-नि. आ.-01/2016-144--विभागीय अधिसूचना संख्या-436, दिनांक 11.02.2021 द्वारा झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020 अधिसूचित किया गया है ।

2. झारखण्ड राज्य में राईस मिलरों की संख्या कम है जिसके कारण विगत वर्षों में निर्धारित तिथि तक भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में कठिनाई आती रही है एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से बार बार अवधि विस्तार की अनुमति की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसके बावजूद भी सी.एम.आर. लंबित रहने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में धान अधिप्राप्ति योजना हेतु नामित नोडल एजेन्सी झारखण्ड राज्य खाद्य एवं

आसैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राँची से राईस मिलरों को अपनी मिलिंग क्षमता के 30 प्रतिशत कार्य करने की जगह कम से कम 50 प्रतिशत कार्य करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 11.10.2022 को माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में उक्त संशोधन हेतु निर्णय लिया गया।

3. उक्त के आलोक में “झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020” की कंडिका-3 (IV) (क) में उल्लेखित प्रावधान -

“यदि कोई सम्बद्ध राईस मिल धान की कस्टम मिलिंग हेतु अनिच्छुक है एवं राज्य सरकार ऐसा महसूस करती है कि धान की मिलिंग आवश्यक है तो ऐसे अनिच्छुक राईस मिल को उनकी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत तक मिलिंग हेतु धान उन्हें सुपुर्द कर सकेगी एवं वैसे राईस मिल तत्संबंधी धान की मिलिंग के उपरांत परिवर्तित धान को इस आदेश द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, राईस मिल अपनी मिलिंग क्षमता का 30% मिलिंग पहले सरकारी कार्य हेतु करेगी अन्यथा राईस मिल के वाणिज्यिक कार्य पर रोक लगा दी जाएगी” को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्नांकित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“यदि कोई सम्बद्ध राईस मिल धान की कस्टम मिलिंग हेतु अनिच्छुक है एवं राज्य सरकार ऐसा महसूस करती है कि धान की मिलिंग आवश्यक है तो ऐसे अनिच्छुक राईस मिल को उनकी मिलिंग क्षमता का 50% तक मिलिंग हेतु धान उन्हें सुपुर्द कर सकेगी एवं वैसे राईस मिल तत्संबंधी धान की मिलिंग के उपरांत परिवर्तित धान को इस आदेश द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, राईस मिल अपनी मिलिंग क्षमता का 50% मिलिंग पहले सरकारी कार्य हेतु करेगी अन्यथा राईस मिल के वाणिज्यिक कार्य पर रोक लगा दी जाएगी।”

4. “झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश, 2020” की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

5. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.01.2023 की बैठक में मद संख्या-03 अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमानी पाण्डे,

सरकार के प्रधान सचिव।
